

## अमृत वृष्टि

### एनआरआई रुपया सावधि जमा सहित घरेलू खुदरा सावधि जमा

बैंक ने खुदरा सावधि जमा के अंतर्गत 'अमृत वृष्टि' नामक एक नई योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है, जो सामान्य ग्राहकों को 444 दिनों की अवधि के लिए @ 7.25% प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों को 50 आधार अंक अधिक, अर्थात् @ 7.75 % प्रति वर्ष की पेशकश की जा रही है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.	योजना	'अमृत वृष्टि'
2.	उपलब्धता की अवधि	15.07.2024 से 31.03.2025 तक
3.	जमा की अवधि / अवधि	444 दिन
4.	पात्र जमाराशि	<p>i) एनआरआई रुपया सावधि जमा सहित घरेलू खुदरा सावधि जमा (&lt;रुपये 3 करोड़)</p> <p>ii) नई एवं वर्तमान जमाराशियों का नवीनीकरण</p> <p>iii) केवल सावधि जमा और विशेष सावधि जमा</p> <p><b>अपवर्जन:</b></p> <p>i) अन्य उत्पाद अर्थात् आवर्ती जमा, कर बचत जमा, वार्षिकी जमा, एमएसीएडी, बहु विकल्प जमा (एमओडी), पूंजीगत लाभ योजना आदि।</p> <p>ii) कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों की एनआरआई जमाराशि।</p>
5.	ब्याज दर	<b>7.25% प्रति वर्ष</b> <b>वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% वार्षिक</b> #कर्मचारी और स्टाफ पेंशनभोगी इन श्रेणियों के ग्राहकों पर लागू अतिरिक्त ब्याज दर के लिए पात्र हैं।
6.	ब्याज का भुगतान	<p>i) सावधि जमा - मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक अंतराल पर विशेष सावधि जमा - परिपक्वता पर</p> <p>ii) ब्याज, ग्राहक के खाते में टीडीएस के बाद, जमा किया जाएगा</p>
7.	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)	आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू दर पर
8.	समय पूर्व निकासी	<p>i) 5 लाख रुपये तक की खुदरा सावधि जमा के लिए, समयपूर्व निकासी पर जुर्माना 0.50% ( सभी अवधियों के लिए) होगा। होगा। (\$)</p> <p>ii) 5 लाख रुपये से अधिक किंतु 3 करोड़ रुपये से कम की खुदरा सावधि जमाराशियों के लिए, लागू जुर्माना 1% (सभी कार्यकाल) होगा. (\$)</p>

		<p>iii) सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए जुर्माने में कमी/माफी का कोई विवेकाधिकार नहीं है।</p> <p>(§) ब्याज, बैंक में जमा राशि रहने की अवधि के लिए जमा की तिथि को लागू दर से 0.50% या 1% कम होगा या अनुबंधित दर से 0.50% या 1% कम होगा, जो भी खुदरा सावधि जमा के लिए क्रमशः 5.00 लाख रुपये तक और 5.00 लाख रुपये से अधिक के लिए कम हो।</p> <p>यद्यपि, 7 दिनों से कम अवधि तक बैंक में जमा रहने वाली जमाराशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>v) स्टाफ और एसबीआई पेंशनभोगियों की जमाराशियों पर कोई समयपूर्व जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। स्टाफ और एसबीआई पेंशनभोगियों द्वारा सावधि जमाराशियों की समयपूर्व निकासी पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर वही होगी जो जमाराशि बैंक में रहने की अवधि के लिए लागू होगी।</p>
9.	ऋण सुविधा	उपलब्ध
10.	उपलब्धता का माध्यम	शाखा/आईएनबी/योनो चैनल
11.	अन्य	अमृत वृष्टि जमा के लिए अलग से कोई उत्पाद कोड की आवश्यकता नहीं है। जमा अवधि के क्षेत्र में 444 दिनों की विशिष्ट अवधि का चयन करने पर, सिस्टम इस योजना को स्वतः ही अपना लेगा।